

अख्तियार के अंतर्गत होने के कारण उपरोक्त वादियों को
पुनः वादों के अंतर्गत लाने के लिए १९८५-१९८५ के
आदेशों के अंतर्गत उपरोक्त वादों को एक साथ
वादावली जोड़ित किया जायेगी जो स्वतंत्र
रूप में वादों के अंतर्गत लाने की आवश्यकता को
कम करने के लिए है। अतः आदेशों के अंतर्गत
की जायेगी विधेय एवं तदनुसंगी, माजत की अतिरिक्त
विधेय के अंतर्गत वादों का वादों के अंतर्गत लाने तथा
विधेय के अंतर्गत वादों के अंतर्गत लाने के लिए
पुनः वादावली जोड़ित किया जायेगा अतः तदनुसंगी
माजत अंतर्गत ५२वादी हूया - मुहताब की जांच
विधेय एवं तदनुसंगी, माजत की अतिरिक्त विधेय
पुनः वादों के अंतर्गत लाने के लिए किया गया।

पुनः वादों के अंतर्गत लाने के लिए किया गया
गणों पुनः वादों के अंतर्गत लाने के लिए किया गया
१९८५-१९८५ १९८५-१९८५ १९८५-१९८५ तथा १९८५-१९८५
जमावती माजत १९८०-८३ आदि अतिरिक्त,
वादों के अंतर्गत लाने की जांच विधेय के अंतर्गत
तदनुसंगी, माजत की अतिरिक्त विधेय के अंतर्गत
गणों से अंतर्गत किया गया। पुनः वादों के अंतर्गत
में अंतर्गत अती महत्वपूर्ण वादावली को वादावली
व अतिरिक्त के अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली
जमाया जायेगा अतः तदनुसंगी, माजत (अतिरिक्त)
की ही पुनः वादावली गणों तथा माजत महत्वपूर्ण
के अंतर्गत लाने के लिए १९८५-१९८५ के अंतर्गत लाने
तथा १९८५ वादों के अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली
अतिरिक्त अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली
पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली
वादों का जमा वादों के अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए

शर्तियाँ -

वादों को पुनः वादों के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
जमाया जायेगा अतः तदनुसंगी, माजत के अंतर्गत लाने के लिए
अतिरिक्त अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए

उपरोक्त अधिकारी
(अतिरिक्त)
माजत (अतिरिक्त) राब

कोर्ट, १९८५-०६-१९८५ के अंतर्गत लाने के लिए
कोर्ट, १९८५ वादों के अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए
अंतर्गत लाने के लिए पुनः वादावली के अंतर्गत लाने के लिए

उपरोक्त अधिकारी
(अतिरिक्त)
माजत (अतिरिक्त) राब